फर्द अहकाम

(नियम 15)

2024/398

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

अनमोल बनाम मांगीसिंह आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 121 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
05.07.2024	प्रार्थी अनमोल की तरफ से वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 2 डीडब्ल्यूडी के प.नं. 33/23(11) कि.नं. 16/3 की 0.106 है., 25/2 की 0.211 है. कुल 0.317 है., चक 29 आरडब्ल्यूडी के प.नं. 33/46(1) कि.नं. 4 की 0.253 है., 5/2 की 0.042 है., 6/3 की 0.021 है., 7/3 की 0.127 है. कुल 0.443 है. भूमि की अप्रार्थी सं. 1 तथा चक 1 डीडब्ल्यूडी के प.नं. 34/5(31) कि.नं. 13/1 की 0.105 है., 14/1 की 0.105 है., 15/1 की 0.106 है. कुल 0.316 है., चक 2 डीडब्ल्यूडी के प.नं. 33/23(11) कि.नं. 17/2 की 0.042 है., 18/3 की 0.063 है., 23/2 की 0.127 है., 24/1 की 0.084 है. कुल 0.316 है. भूमि की अप्रार्थी सं. 2 रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 05.08.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	खिसला
8.7.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र निस्तारण पेशी पेश करते हुए पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया [illegible] पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा आगे [illegible] है। मौजूदा स्थिति में खारिज [illegible] प्रार्थना-पत्र 212 मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] जाकर बाद तकमील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर [illegible] अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.20 16:58:59 IST
Reason: SelfAttested